



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व ₹1000/- के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।,"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर , सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत अ0सं0-516/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी द्वितीय, जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नारायण लोधी पुत्र जागेश्वर लोधी निवासी बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को 01 वर्ष का कारावास व ₹1,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण  
भदौरिया



विवेचक उ0नि0 श्री  
ए.के.राय



पैरोकार थाना मुस्करा  
का0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह